संख्या-9/2016/वे0आ0-2-201/दस-2016-8(मु0स0स0)/2011 टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 24 फरवरी, 2016

विषय- प्रदेश के राजकीय विभागों, स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों, स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों एवं जिला पंचायतों में दिनांक 31 दिसम्बर, 2001 तक नियुक्त दैनिक वेतन/वर्कचार्ज एवं संविदा के कार्मिकों का विनियमितीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-44/2015/वे0आ0-2-795/दस-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 13 अगस्त, 2015 द्वारा राजकीय विभागों, स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों, स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों एवं जिला पंचायतों में दिनांक 31 मार्च, 1996 तक नियुक्त दैनिक वेतन/वर्कचार्ज एवं संविदा के कार्मिकों का विनियमितीकरण किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है। अब तदनुक्रम में श्री राज्यपाल, दिनांक 31 दिसम्बर, 2001 तक विभिन्न विभागों के अन्तर्गत विद्यमान स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों, स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों एवं जिला पंचायतों आदि में दैनिक वेतन, वर्कचार्ज एवं संविदा के आधार पर नियुक्त किये जा चुके ऐसे कार्मिक, जो वर्तमान में उसी स्वरूप में कार्यरत है तथा नियुक्ति के समय पद पर भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता की पूर्ति करते थे, को पहले विभाग/संस्था में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष एवं रिक्तियों न होने पर यथावश्यकता अधिसंख्यक पद सृजित कराते हुए उनके सापेक्ष निम्न शर्तों के अधीन तात्कालिक प्रभाव से विनियमित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :---

(1) सार्वजनिक उपक्रम/निगम/विकास प्राधिकरण/ऐसी स्वशासी संस्थायें, जो स्वयं के स्रोतों से संचालित है, उनमें उपरोक्त विनियमितीकरण की कार्यवाही उसी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

स्थिति में की जायेगी जब इससे आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को सम्बन्धित उपक्रम/निगम, स्वशासी संस्था स्वयं के स्रोतों से वहन करने में सक्षम हों।

(2) स्थानीय निकाय, जल संस्थान, जिला पंचायत एवं ऐसी स्वशासी संस्थायें, जो शत-प्रतिशत अथवा आंशिक रूप से राजकीय अनुदान से संचालित है, उनमें उपरोक्त विनियमितीकरण की कार्यवाही उसी स्थिति में की जाय जब इससे आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को सम्बन्धित संस्था वहन करने में सक्षम हो और इस हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में अधिष्ठान व्यय मद को वहन करने हेतु जितने अंश की वित्तीय सहायता दी जा रही है, उसमें कोई वृद्धि किये जाने की आवश्यकता न हो।

(3) उपरोक्त विनियमितीकरण में शासनादेश संख्या- 44/2015/वे0आ0-2-795/दस-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 13 अगस्त, 2015 में इंगित व्यवस्था के अनुसार सीजनल संग्रह अमीन/सीजनल अनुसेवक, उद्यान विभाग/कृषि विभाग/कृषि शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सीजनल कार्य हेतु लगाये गये कार्मिकों मनरेगा/ऑगनबाडी/आशाबहू/होमगॉर्ड स्वयंसेवक/प्रान्तीय रक्षक दल स्वयंसेवक/ शिक्षा मित्र/किसान मित्र अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अधीन मानदेय या अन्य आधार पर रखे गये कर्मचारियों आदि को सम्मिलित नहीं माना जायेगा।

2- उपर्युक्त के सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया गया है कि भविष्य में शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना उपरोक्त श्रेणी की नियुक्तियों को संज्ञेय आपराधिक कृत्य माना जायेगा और इस प्रकार के नियुक्त किये गये कार्मिकों को हुए भुगतान की वसूली नियुक्ति करने वाले अधिकारियों के वेतन/अन्य देयों से की जायेगी।

3- कार्मिक विभाग द्वारा उपरोक्त विनियमितीकरण किये जाने हेतु विद्यमान नियमावली में संशोधन/नई नियमावली के प्रख्यापन की कार्यवाही की जायेगी।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि यथावश्यकता अधिसंख्यक पदों का सृजन वित्त विभाग की सहमति से कराते हुए अपने नियंत्रणाधीन विभागों तथा विभागों के अन्तर्गत विद्यमान स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों, स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों एवं जिला पंचायतों आदि में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उपरोक्त विनियमितीकरण की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अजय अग्रवाल

सचिव।

संख्या-9/2016/वे0आ0-2-201(1)/दस-2016-8(मु0स0स0)/2011 टी0सी0,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

(1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी-I एवं II तथा आडिट-I एवं II, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

(2) प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(3) प्रमुख सचिव, राज्यपाल उत्तर प्रदेश।

(4) प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

(5) महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

(6) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।

(7) निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।

(8) समस्त, मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(9) उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग/इरला चेक अनुभाग।

(10) निदेशक एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

रमेश कुमार त्रिपाठी

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।